

समावेशी शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे व व्यक्ति हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा रहें हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में निःशक्त बच्चों को सर्वोपरी वरीयता दी गई है। वर्तमान समय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शिक्षा का अभिप्रायः समावेशी शिक्षा से है।

समावेशी शिक्षा को जानने से पूर्व विशेष शिक्षा Special Education एवं समेकित शिक्षा Integrated Education को जानना आवश्यक है। वर्तमान समय में समेकित शिक्षा Integrated Education term समावेशी शिक्षा में परिवर्तित हो चुका है। कुछ लोग आज भी इन्हें समान अर्थों में लेते हैं।

समेकित शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हैं – एकत्रीकरण अर्थात् शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी Disability के साथ एकीकरण किया जाय। यहां मुख्य फोकस CWSN बच्चों पर रहता है।

विशेष शाला Special School – एक ऐसी संस्था होती है जहां विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के माध्यम से विशेष व्यवस्था जैसे – आवास, तकनीक व उपकरण द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है।

देश में सभी के लिए शिक्षा (EFA) या सर्व शिक्षा अभियान में विकलांग बच्चों की शिक्षा योजना में तीन चरणों – विशेष शाला व्यवस्था, समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की यात्रा पुर्ण की हैं।

समावेशी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को (CWSN) सामान्य बच्चों के साथ नियमित शिक्षा प्राप्त करना है, अर्थात् सभी प्रकार के बच्चों को समान अवसर व ध्यान प्रदान करना। इसमें 'सभी के लिए शिक्षा' की अवधारणा के तहत विद्यार्थियों की व्यैक्ति विभिन्नता को स्वीकार कर प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यकता अनुरूप अवसर, तकनीक एवं सुविधाएं प्रदान करना है।

समावेशीकरण क्यों? पृष्ठभूमि –

पूर्व में समाज में निशक्त व्यक्ति को अनुपयोगी, तिरस्कृत व बोझ समझा जाता था। कुछ देशों में तो इन्हें बुरी आत्मा के रूप में मान्य कर कूर व्यवहार किया जाना प्रचलित था। किन्तु आधुनिक समाज में इन अवधारणाओं को समर्थन नहीं, यदि ऐसा होता तो कवि सूरदास की काव्य रचना की श्रेष्ठता आज भी प्रशंसनीय न होती।

- सन् 1800 से 1900 के काल में श्रवण व दृष्टि बाधित व्यक्तियों को सुशिक्षित करने हेतु संस्थाएं स्थापित की जाने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकसित मानसिक बुद्धिलब्धि परीक्षणों से सामान्य एवं निशक्त दोनों को समान मानने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई।

- सन् 1900 से 1970 तक श्रवण, दृष्टि बाधित व मानसिक पिछड़ेपन से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष शालाओं को स्थापित किया गया।
- 1965 से 1980 के मध्य एकीकृत शिक्षा की अवधारणा विकसित हुई।
- स्वतंत्र भारत में 1964'66 में 'समानता के लिए शिक्षा' सिद्धान्त को मान्य कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निशक्तों की शिक्षा हेतु दिशा—निर्देश शामिल किए गए।
- 1974 से निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा ;प्लब्ड्स का विस्तार हुआ।
- छम्त्ज एवं न्हष्ब्ड की पहल पर 1987—94 के बीच निशक्तों हेतु चम्क ; चत्वरमबज वित प्लजमहतंजमक म्कनबंजपवद वित जीम क्पेइसमक छ समेकित शिक्षा परियोजना लागू की गई।